कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री गोपीचन्द बैरवा व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि रामपुरा, खण्डार, सवाईमाधोपुर का इस कार्यालय के आदेश क्रमांक– शिविरा/मा/संस्था/अपील सं.–1425/2019/गोपीचंद बैरवा/2020/19 दिनांक–28.02.2020 के द्वारा अपील संख्या 4125/2019 गोपीचन्द बैरवा बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय अधिकरण राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 13.12.2019 की पालना में इनका पदस्थापन स्वयं के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में दर्शित स्थान पर राउमावि वार्ड नं.–1 चौथ का बरवाडा, सवाईमाधोपुर व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर किया गया।

गोपीचन्द बैरवा ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 8536/2020 गोपीचन्द बैरवा बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर दायर की। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.09.2020 में याचिकार्थी गोपीचन्द बैरवा को निर्देशित किया है कि सम्पूर्ण तथ्यों का समावेश करते हुए सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। तथा सक्षम अधिकारी को याचिकार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित किये जाने के आदेश प्रदान किये।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के कई वर्षों से कूल्हे के जोड़ में गंभीर अस्थि संक्रमण से पीड़ीत है जिसके कारण प्रार्थी के पैर में रक्त प्रवाह कम होने के कारण पैर की लम्बाई कम हो जाने पर तीव्र दर्द होने के आधार पर अपना पदस्थापन/समायोजन राउमावि चतुर्भुजपुरा, निवाई, टोंक/राउमावि सोरन, टोंक किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण व मनन किया गया। याचिकार्थी का पूर्व में अपील संख्या 4125/2019 गोपीचन्द बैरवा बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय अधिकरण राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 13.12.2019 की पालना में विभागीय आदेश दिनांक 28.02.2020 को इनका पदस्थापन स्वयं के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में दर्शित स्थान राउमावि वार्ड नं.–1 चौथ का बरवाडा, सवाईमाधोपुर व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर किया गया। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी भी लोक सेवक द्वारा अपने इच्छित पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अभ्यावेदन/या. सं.–8536/2020 दिनांकः–04/03/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1.संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग ....।
2.संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा..........................।
3.मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ....।
4.जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर..............................।
5.विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6.सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7.संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि ....।
8.गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर